Journal of Advances in Developmental Research (IJAIDR)
E-ISSN: 0976-4844 ● Website: www.ijaidr.com ● Email: editor@ijaidr.com

भारत में स्त्री शिक्षा का विकास

डॉ. सुन्दर लाल[1], डॉ. बी पी यादव[2]

[1]सह आचार्य (शिक्षा), [2]शैक्षणिक निदेशक
श्री गणेश कॉलेज ऑफ एजूकेशन चुडिना,
राजस्थान

Abstract:
स्वतन्त्रता से पूर्व भारत में स्त्री शिक्षा का विकास ना के बराबर था । क्योंकि अंग्रेज भारतीयों को शिक्षा देने के पक्ष में नहीं थे और स्त्री शिक्षा को बिल्कुल ही नहीं चाहते थे । परन्तु मशीनरी संस्थाओं ने महिलाओं को शिक्षा दिलवाने का अच्छा प्रयास किया । परिणामस्वरूप 1820 से 1850 तक महिलाओं की शिक्षा के लिए अनेक संस्थायें खोली गई । 1879 में कलकत्ता विश्वविद्यालय द्वारा लड़कियों के लिए मैट्रिक की परीक्षा लिए जाने के निर्णय से भी स्त्री शिक्षा को बल मिला है । 1946–47 में 100 लड़कों के पीछे केवल 36 लड़कियां प्राथमिक विद्यालयों, 22 मिडिल स्कूल, 24 हाई स्कूल, 7 व्यवसायिक शिक्षण संस्थान का 12 सामान्य कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त करती थी । भारत में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नवनिर्मित संविधान के अनुसार, "राज्य किसी नागरिक के विरूद केवल धर्म, प्रजाति, लिंग, जन्म के आधार पर कोई विभेद नहीं करेगा ।" भारतीय संविधान लिंग पर आधारित मतभेद को अवैधानिक ठहराता है । शिक्षा के क्षेत्र में संविधान में स्त्रियों को पुरुषों के समान सुविधाएं प्रदान की गई है ताकि स्त्रियां भी पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर चल सकें और जिससे देश भी विकास के पथ पर अग्रसर हो सके । भारत सरकार ने स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति और उसकी कार्य योजना के अन्तर्गत समूची शिक्षा प्रणाली स्त्री की समता और अधिकतर सम्पन्नता के प्रति समर्पित है । 1986 की संशोधित शिक्षा नीति और उसकी कार्य योजना में स्त्री की शिक्षा को उच्च प्राथमिकता दी गई है ।

INTRODUCTION

राष्ट्रीय विकास शब्द बड़ा विस्तृत है । यह अपने अन्दर सभी पक्षों को समेटे हुए हैं । राष्ट्र के सभी रूपों (आर्थिक, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि) का सतुंलित एवं सर्वांगीण विकास करना ही राष्ट्रीय विकास है । यदि एक पक्ष उपेक्षित रह जाएगा तो विकास अधूरा रह जाएगा उसका कोई औचित्य नहीं होगा । राष्ट्रीय विकास समस्त देशवासियों के प्राकृतिक साधनों तथा मानवीय साधनों द्वारा कार्य करने की शक्ति का नाम हे ।

According to John Vaizey" National development is the total effect of all citizen's forces and addition to the stock of physical human resources knowledge and skill."
Acc. to United national Decade Report, "National development is growth plus change in turn in social cultural as well as economic and qualities as well as qualities"

मनोवैज्ञानिकों के अनुसार राष्ट्रीय विकास एक मनो वैज्ञानिक विषय है । क्योंकि राष्ट्रीय विकास हमारे मन की भावना प्रेरणा, श्रम के प्रति निष्ठा, समर्पण व त्याग, सहनशीलता, आत्म अनुशासन और सामाजिक समायोजन की योग्यता का होना है जो हमारे देश की उत्पादन आर्थिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध रखते हैं ।

सयुंक्त राष्ट्र महासभा ने 1 जनवरी 1971 को संयुक्त राष्ट्र विकास दशक के आरम्भ में यह घोषणा की कि :

1- लोगों का न्यूनतम जीवन स्तर होना चाहिए इसमें मानव समन को महत्व दिया जाए ।
2- आय व धन का लोगों में समान वितरण होना चाहिए ।
3- लोगों को अधिक से अधिक आर्थिक सुरक्षा दी जाए ।
4- शिक्षा, स्वास्थ्य पोषण, मकान तथा समाज कल्याण की सुविधाओं में सुधार एवं विस्तार किया जाए ।

5- पर्यायवरण की सुरक्षा की जाए ।

महिला तथा राष्ट्रीय विकास :

भारतवर्ष साहित पूरे विश्व में ही 'महिला सशक्तिकरण' की शब्दावली का प्रयोग पिछले एक दशक से कुछ विशेष जोरों से किया जा रहा है । भारत में आजादी के बाद सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं में पहले तीन दशकों तक 'महिला कल्याण' की शब्दावली का आमतौर पर प्रयोग किया जाता रहा । 80 के दशक में उसके स्थान पर ''महिला विकास'' की शब्दावली अधिक प्रचलित हुई । बाद में 90 के दशक में ''महिला समानता'8 या उन्हें बराबरी का हक दिलाने पर जोर देने की बात की जाने लगी । इसलिए 90 के दशक के अंतिम चरण में चारों ओर महिला सशक्तिकरण, महिला विकास तथा कल्याण, और महिला अधिकारिता को गूंज बहुत तेजी से होने लगी । वास्तव में सशक्तिकरण अथवा अधिकारिता शब्द व्यापक और सारगर्भित है जिसमें अधिकारों और शक्तियों का स्वाभाविक रूप से समावेश हुआ प्रतीत होता है । महिलाओं के विकास के सम्बन्ध में ष्वपिबम वि जीम नदपजमक छंजपवदेए भ्पही ब्वउउपेपवदमत वित भ्नउंद त्पहीजेष् ने लिखा है कि ''महिला सशक्तिकरण औरतों को शक्ति, क्षमता तथा काबलियत देता है । ताकि वे अपने जीवन स्तर को सुधारकर अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें ।''

अन्य शब्दों में, ''महिला सशक्तिकरण से तात्पर्य एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया से है जिसमें महिलाओं के लिए सर्व सम्पन्न और विकसित होने हेतु सम्भावनाओं के द्वार खुलें ।'' महिलाओं की शैक्षिक स्थिति, स्वास्थ्य सम्बन्धित स्थिति, देखारन की सुविधा, निर्णय का अधिकार, सत्ता के साथ–साथ सम्पत्ति में पुरुषों के बराबर उनका हक आदि के सम्बन्ध में प्रशासनिक सुधार की आवश्यकता है । इसके लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर अनेक योजनाएं चलाई गई है जिनको सरकार द्वारा क्रियान्वित भी किया गया है परन्तु फिर भी अभीष्ट लक्ष्यों की प्राप्ति हम नहीं सके हैं ।

स्त्री विकास तथा कल्याण सम्बन्धी योजनाएं तथा उनका विकास क्रम:

1950 तक महिला कल्याण, सामाजिक कल्याण का ही एक हिस्सा था, जब महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण के लिए केन्द्रीय सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा स्वैच्छिक संस्थाओं का गठन किया जाता था । ताकि वे संस्थायें महिलाओं के कल्याण तथा विकास में योगदान दे सकें और हम अभीष्ट लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें ।

वर्तमान में महिलाओं के विकास के लिए कई तरह के कार्यक्रमों एवं सेवाओं का आयोजन किया जा रहा है । जिससे महिलाएं सामाजिक विकास तथा राष्ट्रीय विकास में अपनी भूमिका निभा सकें । इसके लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा सामाजिक कल्याण एवं विकास के कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया तथा महिलाओं के कल्याण एवं विकास सम्बन्धी सभी समस्याएं 'महिला एवं बाल कल्याण विभाग को सौंपी गई जोकि बाद में मानव संसाधान मत्रांलय के अन्तर्गत शामिल कर दी गई ।

1989–90 की महिला एवं बाल कल्याण विभाग द्वारा दी गई वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार ''यह पता लगाया गया कि ऐसे कौन से कारण हैं जिन्हें दूर करके औरतों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर को मजबूत किया जा सकें ताकि वे मानव संसाधान के पूर्ण विकास के लिए यह माना गया है कि महिलाओं की भागीदारी भी उतनी ही महत्त्वपूर्ण है जितनी की पुरुषों की । इसके लिए महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने की आवश्यकता है । ताकि वे समाज में अपना सम्पूर्ण विकास कर सकें ।

यद्यपि पंचवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं । परन्तु सरकार की उदासीनता के कारण वे अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में असफल रही हैं । स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत ने विकास योजनाओं को प्रोत्साहित किया । सभी क्षेत्रों में विकास करने के साथ–साथ पंचवर्षीय योजनाओं में भी सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास को महत्त्व दिया ।

अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि भविष्य में महिलाओं के विकास के लिए National Resources Centres on Women Development विभाग नीतियों को निर्धारण करने तथा उन्हें क्रियान्वित करने में भारत सरकार को सहयोग देगा ।

पंचवर्षीय योजनाओं में महिला विकास तथा कल्याण सम्बन्धी उठाये गये कदम :

प्रथम पंचवर्षीय योजना में महिलाओं के सामाजिक कल्याण, ग्रामीण विकास में महिलाओं की भागीदारी, नारी शिक्षा, महिला एवं शिशु की स्वास्थ्य एवं पोषाहार सम्बन्धी परिवार कल्याण सम्बन्धी आदि विषयों पर ध्यान केन्द्रितकर योजनाओं का निर्माण किया गया ।

दूसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य कामकाजी महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान देना था । इस योजना में कामकाजी महिलाओं को मातृत्व सम्बन्धी सुविधाएं प्रदान की गई, बच्चों के लिए Creches की व्यवस्था की गई । इसके अलावा समान कार्य के लिए समान वेतन तथा आवास की सुविधाएं प्रदान की गई जिनसे महिलाओं का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सकें ।

तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देना था । पूर्ण सामाजिक विकास के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों का विकास किया गया । महिला एवं बाल कल्याण सम्बन्धी कई महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमों का विस्तार किया गया जैसे– परिवार नियोजन, स्वास्थ्य शिक्षा, बाल कल्याण आदि ।

चौथी पंचवर्षीय योजना में नारी शिक्षा, परिवार नियोजन तथा 5 वर्ष तक के बच्चों के पोषाहार सम्बन्धी नीतियों का निर्धारण किया गया तथा उन्हें क्रियान्वित किया गया ।

पांचवी पंचवर्षीय योजना में 15–45 वर्ष तक की साक्षर घरेलू महिलाओं तथा कामकाजी महिलाओं एवं उन पर आश्रित बच्चों के विकास पर ध्यान दिया गया । ग्रामीण क्षेत्रों में विकास के लिए महिला मण्डल था गठन किया गया । परिवार नियोजन एवं स्वास्थ्य सेवाओं के अतिरिक्त बच्चों के विकास को भी प्राथमिकता दी गई तथा विकास की मुख्यधारा में शामिल किया गया ।

छठी पंचवर्षीय योजना 1980–85 में गरीबी को मिटाने वाले उद्देश्य रखा गया । भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के इतिहास में पहली बार महिला एवं उसके विकास सम्बन्धी अध्याय को इसमें शामिल यिका गया । नारी विकास के लिए चार आवश्यक कार्यक्रमों को लक्षित किया गया ।

1- आर्थिक स्वतन्त्रता
2- शिक्षा व्यवस्था
3- स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सम्बन्धी
4- ग्रामीण महिलाओं के लिए आर्थिक सुधार योजनाएं

सातवीं पंचवर्षीय योजना में महिला विकास एवं कल्याण सम्बन्धी निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये ।

1- सामाजिक तथा आर्थिक विकास
2- अधिकारों तथा कर्त्तव्यों के प्रति जागरूक कराना
3- लिंग आधारित शिखा का उन्मूलन करना
4- पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं को विशेष प्रशिक्षण सुविधाएं ।

आठवीं और नौवी पचंवर्षीय योजनाओं में महिलाओं के विकास एवं कल्याण सम्बन्धी विषयों के अलावा उनमें उद्यमशीलता तथा विज्ञान एवं तकनीकी शिक्षा भी बढ़ावा दिया गया ।

महिलाओं के विकास तथा कल्याण के लिए उठाये गये कदम :

महिलाओं के विकास सम्बन्धी सभी योजनाओं को क्रियान्वित करने तथा निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निम्न संस्थाओं का गठन किया गया ।

1- सामाजिक कल्याण मत्रांलय द्वारा महिला विकास ब्यूरो का गठन ।
2- मानव संसाधन मंत्रालय के अन्तर्गत महिला एवं बाल कल्याण विभाग का गठन
3- महिला विकास के लिए NIPCCD का गठन ।
4- स्वः रोजगार महिलाओं के लिए आयोग का गठन ।

5- संविधान के 64वें तथा 65वें संशोधन में 30 प्रतिशत सीटें पचांयतों में महिलाओं के लिए आरक्षित की गई ।

महिला विकास एवं कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम :

वर्तमान समय में केन्द्र तथा राज्य सरकार द्वारा महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण एवं विकास सम्बन्धी विभिन्न योजनाएं चलाई गई है । जिसके लिए सामाजिक कल्याण विभाग तथा केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड कार्य कर रहे हैं । सामाजिक कल्याण विभाग की स्थापना 1964 में की गई । विभिन्न सरकारी विभाग इसके अन्तर्गत कार्य करते हैं जैसे– गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, श्रम विभाग तथा रोजगार एवं पुनर्वास विभाग आदि ।

केन्द्रीय सामाजिक कल्याण विभाग का 1953 में महिलाओं के विकास सम्बन्धी कुछ विशिष्ट उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए गठन किया गया । यह एक स्वतन्त्र विभाग है । इसके सदस्य गैर सरकारी होते हैं । यह विभाग अपने स्वैच्छिक प्रयासों तथा कल्याण कार्यक्रमों के लिए सरकार से अनुदान प्राप्त करता है । इसके अन्तर्गत निम्न कार्यक्रमों को शामिल किया गया है ।

1. General Grants Programme
2. Family and child welfare projects
3. Nulrition Programme for Pre. School Children
4. Hostels for working women
5. Balwadi's in the Demonstration project.

प्रथम पंचवर्षीय योजनाओं में बनाई गई महिला कल्याण सम्बन्धी योजनाओं को वैदिक सफलता ना मिलने के कारण तीसरी पंचवर्षीय योजना में महिला मंडल को सौंप दिया गया । 1969–70 में महिला मंड़लों की संख्या 502 थी जोकि 1974–75 में घटकर 433 रह गई थी ।

महिला कल्याण विभाग द्वारा नवम्बर 1954 में उन ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू किये गये जिनमें कोई स्वैच्छिक संस्था कार्य नहीं कर रही थी । इन कार्यक्रमों में 25 गांवों को शामिल किया जिसमें अनुमानित जनसंख्या 25,000 से 40,000 तक हो ।

ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं के विकास तथा कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों को चलाने के लिए कई सरकारी तथा गैर सरकारी संस्थाओं ने अपने–अपने ग्रामीण क्षेत्रो के महिला मण्डलों में अपना नाम दर्ज करवाया । ये संस्थाएं ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को उनके सामाजिक तथा आर्थिक विकास के लिए मार्गदर्शन करती है और उत्साहित करती है । इसके लिए कार्यरत संस्थाएं हैं ग्राम सेविका, मुख्य सेविका, महिला मण्डल, महिला मण्डली आदि । उपलब्ध सूचनाओं के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में 1972–73 तक 53,000 महिला मण्डल कार्य कर रहे हैं जिनमें लगभग 13.62 लाख सदस्य हैं । वर्ष 1975 को अन्तराष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया ।

हरियाणा में महिला विकास तथा कल्याण सम्बन्धी योजनाएं :

महिला सशक्तिकरण हेतु पिछले 6–7 वर्षों में सरकार द्वारा महिलाओं के लिए कुछ नई विकास और कल्याणकारी योजनाओं की घोषणा करते हुए उनहें संचालित किया गया है । भारत सरकार द्वारा वर्ष 2001 को 'महिला सशक्तिकरण वर्ष' के रूप में मनाने का निर्णय किया गया था इसके लिए केन्द्र सरकार द्वारा पहली बार 'राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति' बनाई गई ताकि देश में महिलाओं को विभिनन क्षेत्रों` उत्थान समुचित विकास और समानता के सिलए आधरभूत व्यवस्थाएं निर्धारित किया जाना सम्भव हो सकें । ग्रामीण महिलाओं के विकास एवं कल्याण के लिए भी उन्हें शिक्षा, रोजगार, ऋण, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी आदि सुविधाएं देने और उन्हें स्वावलम्बी बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं । हरियाणा सरकार द्वारा हरियाणा के ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं के विकास तथा कल्याण सम्बन्धी विभिन्न कार्यक्रमों को लागू किया । इनके लिए कुछ ऐसी संस्थाओं का भी गठन किया जो ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों की महिलाओं को उनके बारे में जागरूक करें ताकि वे इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकें ।

सन्दर्भ ग्रथ सूची

1. अग्रवाल, भीष्म स्वरूप – हरियाणा में स्त्री शिक्षा, 16 मार्च, 1982
2. श्रीवास्तव, डी० एन० – अनुसंधान विधियॉ, साहित्य प्रकाशन, आगरा 2000
3. लौकेश कौल – शैक्षिक अनुसंधान की कार्यप्रणाली, विकास पब्लिशर्ज, नई दिल्ली, 1998